न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठसीन अधिकारी :–अपूर्वा परवाल आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 348 / 19

वादी :–

1. फताराम पुत्र श्री अर्जुनराम जाति भील, निवासी 103 भीलो का बास भादरिया, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर हाल जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. लालाराम पुत्र श्री जसाराम
2. स्व. बंशीलाल पुत्र श्री जसाराम फौत के कायम मुकाम –

2/1 सीता पत्नी स्व. बंशीलाल

2/2. भोमाराम पुत्र स्व. बंशीलाल

जतियान भील, निवासीगण ग्राम बासनी तम्बोलिया, तहसील व जिला जोधपुर।

3. बाबुलाल पुत्र श्री जसाराम
4. बेबली पत्नी सीताराम
5. सुनिल पुत्र सीताराम
6. विजेश पुत्र सीताराम
7. किनकी पुत्री सीताराम
8. सुन्दरी पुत्री सीताराम
9. अनिता पुत्री सीताराम
10. रामचन्द्र पुत्र गुलाबराम
11. चतराराम पुत्र गुलाबराम
12. बालकिशन पुत्र गुलाबराम
13. जसकी बेवा गुलाबराम

जातियान भील निवासीगण ग्राम बासनी तम्बोलिया, तहसील व जिला जोधपुर।

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।-

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनाक 13/1/21

उपस्थिति –

वादी की ओर से वकील श्री पूनाराम विश्नोई, श्री प्रेमकुमार विश्नोई

वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया है। वाद सुनवायी के दिनाक 28.7.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी कर मौजा गांव बासनी तम्बोलिया तहसील व जिला जोधपुर मे स्थित खसरा न 61 कुल रकबा 06 बीघा 9 बिस्वा भूमि में मौके पर जाकर पक्षकारो की मौजुदगी मे जमाबन्दी अनुसार बटवाडा प्रस्ताव तैयार कर करने हेतु तहसीलदार जोधपुर को कमिश्नर नियुक्त किया गया ।

प्राथमिक डिक्री के अनुसार तहसीलदार जोधपुर द्वारा पत्र क्रमाक भू.अ./20/3565 दिनाक 05.08.2020 में भू.अ. निरीक्षक जाजीवाल, पटवारी हल्का सुरपुरा से प्राप्त बटवाडा प्रस्ताव मौके व रेकर्ड अनुसार तैयार फर्द रिपोर्ट प्रषित की जो इस प्रकार है – श्रीमान तहसीलदार, जोधपुर के आदेश क्रमाक/ भू.अ./3554–55 दिनाक 4.8.2020 की पालना मे माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक, जोधपुर राजस्व वाद 348/2019 निर्णय दिनाक 28.7.2020 की पालना में हल्का पटवारी सुरपुरा के साथ मौके पर पहुचा। मौके पर वादी फताराम व प्रतिवादीगणों मे से रामचन्द्र पुत्र गुलाबराम हाजिर मिले बाकी प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर

मौके पर अनुपस्थित रहे। वादग्रस्त खसरा नं. 61 मौजा बासनी तम्बोलिया की वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 के खाता नं. 8 में वादी व प्रतिवादी सह खातेदारी में दर्ज शुदा है जिनमे से प्रतिवादी संख्या 2 बशीलाल पुत्र जसाराम व प्रतिवादी संख्या 4 घीसकी बेवा जसाराम वर्तमान में फौत है। वादी व प्रतिवादीगणों के बीच बंटवाड़ा प्रस्तावित किया गया जिसका नजरी नक्शा संलग्न है। मौका फर्द मौके पर तैयार कर सुनायी व सहमति में हस्ताक्षर किये।

उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है। तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार वादी के ग्राम बासनी तम्बोलिया तहसील व जिला जोधपुर में खसरा संख्या 61 से 4 बीघा 11 बिस्वा 09.357 बिस्वांशी हिस्से का राजस्व रेकर्ड में पृथक से इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिये जाते है व उसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे। संलग्न नजरी नक्शा इस अंतिम निर्णय एवं डिक्री का भाग समझा जावे तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

Aparna

(अपूर्वा परवाल) **R.A.S**
सहायक कलकटर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 13/1/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Aparna

(अपूर्वा परवाल) **R.A.S**
सहायक कलकटर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर

[illegible] इजलास अपूर्वा परवाल (आर ए एस) [illegible] मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)

[illegible] –

1. फतेराम पुत्र श्री [illegible] जाति भील निवासी 103 भीलों का बास [illegible] तहसील [illegible] जिला जैसलमेर हाल जोधपुर

बनाम

[illegible]

1. [illegible] पुत्र श्री जसाराम
2. स्व. [illegible] पुत्र श्री जसाराम फौत के कायम मुकाम –
[illegible] स्व. [illegible]
[illegible] पुत्र स्व. [illegible]
[illegible] निवासीगण ग्राम बासनी [illegible] तहसील व जिला जोधपुर
3. [illegible] पुत्र श्री जसाराम [illegible]
4. [illegible] सीताराम
5. [illegible] पुत्र सीताराम
6. [illegible] पुत्र सीताराम
7. [illegible] पुत्र सीताराम
8. [illegible] पुत्र सीताराम
9. [illegible] पुत्र सीताराम
10. [illegible] पुत्र [illegible]
11. [illegible] पुत्र [illegible]
12. [illegible] पुत्र [illegible]
13. [illegible]
[illegible] निवासीगण ग्राम बासनी [illegible] तहसील व जिला जोधपुर
14. [illegible] सरकार [illegible] तहसीलदार जोधपुर

[illegible] 53 [illegible] आर.टी.एक्ट में मुकदमा नम्बर 348/19 यह मुकदमा वास्ते [illegible] स्वयं पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री [illegible] – तहसीलदार जोधपुर के बटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वादी [illegible] अंतिम डिक्री दी जाती है। वादी के ग्राम बासनी [illegible] बीघा [illegible] बिस्वा 39.357 बिस्वांसी [illegible] इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को [illegible] तहसीलदार जोधपुर [illegible] के नाम अधिकार अभिलेख में [illegible] अनुसार [illegible] नक्शा में [illegible] नजरी नक्शा को निर्णय का [illegible]

[illegible] मुकदमा [illegible] बाबत [illegible] कार्यवाही मुकदमा के मय मुहर [illegible]

[illegible] दस्तखत [illegible] का अदा कर [illegible] 3/1/21 को जारी की गई

[illegible] 3/1/21

अपूर्वा परवाल आर.ए.एस.
[illegible]
[illegible] (प्रथम), जोधपुर

मुदाई	रुपया	पैसे	मुदायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्पजारीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत खर्चाअह्वान्बाबत् दजराय हुक्मनामा मतफरिक			स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पअरजी मेहनतानावकिलफीसकमिश्नर बाबत् दजराय हुक्मनामा मतफरिक		

(अपर्णा परवाल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट
(फारट ट्रेक) जोधपुर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (F.T.), जोधपुर

कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
सत्यमेव जयते
जोधपुर